उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-48/2017/एस-2-2987/दस-2017-88क(6)/2017

लखनऊ :: दिनॉक:: 15 नवम्बर, 2017

**<u>कार्यालय-आदेश</u>**

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को एतदद्वारा उनके अपने कार्य के साथ-साथ कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होगें :-

| क्र0 सं0 | अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती | पद व स्थान जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री मुकेश कुमार जैन,<br>वित्त अधिकारी,<br>पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, मथुरा। | वित्त अधिकारी,<br>डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा। |
| 2 | श्री दिनेश बाबू,<br>वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,<br>कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद। | मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,<br>नगर निगम, इलाहाबाद। |

2- संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संजय गोयल

विशेष सचिव।

**<u>संख्या-48/2017/एस-2-2987(1)/दस-2017, तददिनॉक।</u>**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/ पशुधन/नगर विकास/आबकारी विभाग, उ0प्र0शासन।

2- कुलपति/कुल सचिव,डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

3- कुलपति/कुल सचिव,पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, मथुरा।

4- आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा/आगरा/इलाहाबाद।
9- संबंधित अधिकारीगण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( हरिश्चन्द्र )
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।